भारत सरकार

पर्यटन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. **+1211**

सोमवार, **25** नवम्बर, 2019/**04** अग्रहायण, 1941 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

आंध्र प्रदेश में रिवर वियू पार्क विकसित करना

+1211. श्री एन॰ रेड्डप्पः

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार पर्यटन क्षेत्र और लोगों के आमोद-प्रमोद को उच्च प्राथमिकता दे रही है लेकिन आंध्र प्रदेश में अधिकारी निधि के अभाव का बहाना बनाकर तटीय क्षेत्रों के जिलों में महत्वपूर्ण आमोद-प्रमोद स्थलों की जानबूझकर उपेक्षा कर रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) श्रीकाकुलम में पुराने पुल के बगल में नागावली नदी के किनारे पर तथा अन्य जिलों में भी रिवर वियू पार्क विकसित नहीं करने के क्या कारण है;

(ग) क्या आंध्र प्रदेश में बहुत से रिवर वियू पार्कों में, जल-फ्व्वारे काम नहीं कर रहे है, लोहे के ग्रिल और बेंच एकदम खराब हो चुके है, क्रेडल की तरह दिखने वाले फ्रे मवर्क उपयोगी नहीं रह गए है, हैंगिंग बेड पूरे खराब हो चुके हैं, स्वीमिंग बेड भी खराब हो चुके हैं, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और आंध्र प्रदेश के जिलों में ऐसी स्थिति होने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या आंध्र प्रदेश के बहुत से जिलों में रिवर वियू पार्क के दौरे के समय पर्यटक आराम नहीं कर पाते हैं, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) आंध्र प्रदेश में भविष्य में ऐसे रिवर वियू पार्कों पर पर्यटकों को समुचित सुविधा उपलब्ध कराने के लिए इनको बेहतर बनाने हेतु सरकार द्वारा कार्य योजना बनाने और निधियों को संस्वीकृति प्रदान करने के साथ-साथ क्या कदम उठाए जा रहे हैं**?**

उत्तर

पर्यटन राज्य मंत्री **(**स्वतंत्र प्रभार) (श्री प्रहलाद सिंह पटेल)

(क) से (ड.) : पर्यटन स्थलों की पहचान और विकास मुख्य रूप से राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों की जिम्मेदारी है । हालांकि, पर्यटन मंत्रालय अपनी स्वदेश दर्शन, प्रशाद की योजनाओं के अन्तर्गत देश में पर्यटन अवसंरचना के विकास हेतु राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) प्रशासनों/केन्द्रीय अभिकरणों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। योजना के

अन्तर्गत विकास के लिए परियोजनाएं राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के परामर्श से चिह्नित की जाती हैं तथा निधियों की उपलब्धता, उपयुक्त विस्तृत परियोजना रिपोर्टों की प्रस्तुति, योजना दिशानिर्देशों का अनुपालन तथा पूर्व में निर्मुक्त निधियों की उपयोगिता की शर्त पर स्वीकृत की जाती हैं।

इस मानदण्ड के आधार पर, मंत्रालय ने आन्ध्र प्रदेश राज्य को निम्नलिखित परियोजनाएं स्वीकृत की है:-

(करोड़ रु. में)

क्र . .सं	योजना/स्वीकृति का वर्ष	परियोजना का नाम	स्वीकृत राशि
1.	स्वदेश दर्शन (2014-15)	तटवर्ती परिपथ: काकीनाडा- होप- आईलैंड- कोरिंगा वन्यजीव अभ्यारण्य- पासरलापुडी-अडुरू-श्यनम-कोटीपल्ली का विकास	**67.84**
2.	स्वदेश दर्शन (2015-16)	तटवर्ती परिपथ: नेल्लोरे-पुलिकट झील - उबलमादुगु जल प्रपात- नेलपट्टू-कोठाकोडुरु-मिपादु-रामतीर्थम-इस्कापल्ली का विकास	**59.70**
3.	स्वदेश दर्शन (2017-18)	बौद्ध परिपथ :**बोजनकोण्डा- बाविकोंडा- थोटलाकोंडा - शालिहुण्डम**- अमरावती -**अनुपू का विकास**	**52.34**
4.	प्रशाद (2015-16)	पर्यटक गंतव्य के रूप में अमरावती टाउन, गुंटूर जिला का विकास	**28.36**
5.	प्रशाद (2017-18)	श्रीसैलम मंदिर का विकास	**47.45**

उपरोक्त योजना के अन्तर्गत सृजित परिसंपत्तियों/सुविधाओं का परिचालन और रखरखाव (ओ एण्ड एम) करना सम्बन्धित राज्य सरकार का उत्तरदायित्व है। तथापि, उचित परिचालन और रखरखाव सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय ने योजना दिशानिर्देशों के तहत एक स्वतंत्र एजेंसी द्वारा अपने प्रमाणन एवं एक वर्ष के लिए सृजित परिसंपत्तियों के सफलतापूर्वक परिचालन तथा रखरखाव के पश्चात परियोजना लागत (अंतिम किस्त) का 5% जारी करने का प्रावधान किया है।

****